



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14037/2025

Deepak S/o Chandrapal, Aged About 26 Years, R/o Jateri, Police Station Khoh, District Deeg (Rajasthan). Recently Residing In The House Of Samay Singh, S/o Bissu Jatav R/o Dham Chidwai Police Station, Govindgarh, District Alwar (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arpit Jain, Adv. Mr. Shreyansh Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP Mr. Dharm Singh, IO, CI, SHO, Govindgarh, Alwar.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

09/12/2025

समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश की पालना में अनुसंधान अधिकारी उपस्थित आये, जिन्होंने न्यायालय में आश्वासन दिया कि वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा पेश कर दिया जाएगा, लेकिन बकाया अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है, वे प्रदेश के बाहर के हैं, अनुसंधान में समय लगना स्वाभाविक है फिर भी यथाशीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर नतीजा पेश करने का आश्वासन दिया।

इस तथ्य को अभिलेख पर रखते हुए उपस्थित अनुसंधान अधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की जाती है।



प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी एन एस एस के अन्तर्गत पुलिस थाना **गोविंदगढ़ जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-322/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2) बी एन एस व धारा 66डी आईटी एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से इस प्रकरण में आलिप्त किया गया है। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त **दिनांक 30.09.2025** से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में अभियुक्त पर साइबर फ्राड के माध्यम से 33 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त दीपक पुत्र चन्द्रपाल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है



[2025:RJ-JP:49988]

[CRLMB-14037/2025] ~~2025:RJ-JP:49988~~

कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास-पचास हजार रुपये** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /46